

माननीय न्याय दण्डाधिकारी, (प्रथम वर्ग) रेल्वे न्यायालय कल्याण

“शिकायत पत्र (भा.ना.सु.संहिता, 2023 धारा 223(1) के तहत)

रेल्वे एक्ट अधिनियम 1986 संशोधित 2003

RCC. No. 4642/26 Date- 13/03/26

- 1) आर.पी.एफ पोस्ट: डोंबिवली/मण्डल/मुंबई, CR No. 426/2026 धारा 155 रेल अधिनियम
- 2) घटना की तारीख : 13/03/2026 समय 10/15 घटना स्थल डोंबिवली, P.T. No. 03
- 3) आरोपी का नाम : च.किरी कार्मिक S/O राजू उम्र 25 धन्दा मेकरी
स्थानीय पता: वि.न.गे. 2, 21.5 (बा.मि.)
स्थायी पता : मो. नं. 9366108281
- 4) आरोपी की चेहरा पट्टी: उचाई 5' रंग शामल शरीर मध्यम पहचान चिन्ह आर.पी.ए. पर कोला गि.प
- 5) फरियादी का नाम व पता : एन.गो. 21, म.ए.न.ग. का.कि.स.न.
- 6) आरोपी को गिरफ्तार करने की तारीख : समय स्थान
- 7) आरोपी को गिरफ्तार करने अधिकारी का नाम और पता :
- 8) जप्त संपत्ति का विवरण व कीमत :
- 9) रेलवे को हानी / नुकसान :
- 10) गिरफ्तारी के कारण (भा.ना.सु.सं. धारा 35(1) (b) (11)) के तहत

1. रेलवे परिसर में कोई और अपराध को करने से रोकने, रेल यातायात सुनिश्चित करने हेतु।
2. अपराध की समुचित जांच करने हेतु।
3. अपराध से संबंधित साक्ष्य को प्रभावित करने से निर्धारित करने हेतु।
4. मामले से संबंधित तथ्यों से परिचित के उन्हें उजागर करने आरोपी द्वारा रोकने से निर्धारित करने हेतु।
5. उक्त आरोपी की कोर्ट में उपस्थिती सुनिश्चित करने हेतु गिरफ्तारी आवश्यक है।

न्यायदंडाधिकारी गिरफ्तारी में (भा.ना.सु.सं. धारा 36) के तहत बनाने का

लोहमार्ग न्यायालय तारीख : 13/03/26 समय 10/30 स्थान DT

- A. गवाहों का विवरण
गवाह नं. 1 ए.न. कार्मिक सोनग.
गवाह नं. 2
- B. गिरफ्तार व्यक्ति के रिश्तेदार मित्र जिसे गिरफ्तार की सूचना दी गई (नाम) वै.दे. 1 - 9307350550
- 12) आरोपी को जांच अधिकारी द्वारा जमानत पर रिहा किया गया है या नहीं : य.स.
- 13) जांच अधिकारी का नाम व पद : AS / P.A. ल.प.
- 14) अपराध का संक्षिप्त विवरण म.ए.न.ग.
कोला.न. 03 के कोला. ग.प. ए.न.ग. के बा.कि.न. डि.के. के. बा.कि. प.न.ग.
य.न.ग. के. प.न.ग. ग.प.

आदेश
मौलिक अधिकारों का संरक्षण
बल. 1.2.2. नानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
2023 का कलम 24 (2) प्रमाण दिलेत्वा नोटीसनुसार
दि. 13/03/2026 रोजी. 11/05. वाजता आरोपी को भा.ना.सु.सं में उपबंधित सभी सुविधाएं मुहैया की गई। मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य & डी. के. बसु बनाम प. बंगाल राज्य के बाद के न्याय निर्णय में दिये गए सभी दिशा निर्देशों और मानवअधिकार का अनुपालन से सभी निर्देशों का पूर्णतः पालन किया गया है।

न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग
लोहमार्ग न्यायालय के दस्ताक्षर/अंगूठा निशानी

फरियादी का दस्ताक्षर
गवाह नं. 1
गवाह नं. 2

जांच अधिकारी के दस्ताक्षर एवं मुहर

Particulars of the Offence and charge
as per rule read over and explained to
the accused.

Q1. Have you understood the Same.

Ans:- Yes

Q2. Do you plead guilty to the same
Voluntary.

Ans:- Yes


Signature of Accused

Judicial Magistrate F.C,
Railway Court, Kalyan

Put up for order on 14/03/2026


Judicial Magistrate F.C,
Railway Court, Kalyan

Order

U/s 275 of B.N.S.S. 2023, I accept the
plea of guilt and convict the accused for
the Offence Punishable Under section 155
of the Railways Act.

In view of the National Lok Adalat,
leniency is shown to the accused. He is

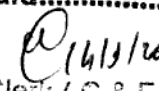
Sentenced to pay fine of Rs. 100/-

in default to Suffer Simple Imprisonment
of 04 days.

Date :14/03/2026
Kalyan


Judicial Magistrate F.C,
Railway Court, Kalyan

Fine Paid 100/-


Sr. Clerk (C & F)
Railway Court, Kalyan.